



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारावास व 5,00/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 522/2008 धारा-25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सि0ज0(सी0डि0)/एफटीसी कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जितेन्द्र वाल्मीकि पुत्र बिन्द प्रसाद निवासी रमेड़ी, थाना कोतवाली नगर, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 माह का साधारण कारावास व ₹5,00/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एपीओ अतुल तिवारी



विवेचक-
व0उ0नि0 सुरेन्द्र
सिंह



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का0 मनोज सिकरवार